

पटना में दिनांक-06 मई, 2026 बुधवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

उद्योग विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 1. | औद्योगिक क्षेत्र, पटना (शहरी) के अन्तर्गत एयरपोर्ट कैम्पस से सटे बियाडा की कुल भूमि 1.85 एकड़ भूमि (रास्ता सहित) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, पटना को निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

उद्योग विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 2. | बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, 2025 की अवधि विस्तार दिनांक 30 जून 2026 तक किये जाने पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 3. | बिहार भवन (संशोधन) उपविधि, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026 में वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित अथवा अपने स्थान से प्रवासित मतदाता द्वारा सुगमतापूर्वक यथास्थान मतदान करने के उद्देश्य से e-voting System का उपयोग करने हेतु नामांकन के आधार पर कुल ₹31.4588 लाख (GST सहित) (एकतीस लाख पैंतालिस हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर C-DAC, हैदराबाद को एजेंसी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

जल संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 5. | बक्सर कार्बलवर गंगा तटबंध के कि०मी० 58.00 से कि०मी० 59.20 के सामने गंगा नदी के दायाँ तट पर ग्राम गंगापुर, भुसौला, नन्दपुर एवं दामोदरपुर (जवईनिया) में कटाव निरोधक कार्य प्राक्कलित राशि-5256.41 लाख (बावन करोड़ छप्पन लाख इकतालीस हजार रुपये मात्र) के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

जल संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 6. | गंगा नदी के बायें किराने बल्लीटोला से सबलपुर पछियारी टोला तक कटाव निरोधक कार्य, प्राक्कलित राशि रू० 5755.34 लाख (संतावन करोड़ पचपन लाख चौतीस हजार रुपये मात्र) के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 6. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

जल संसाधन विभाग

7. गंगा नदी के बायें तट पर अवस्थित ग्राम-गनियारी में कटाव निरोधक कार्य प्राक्कलित राशि रू० 6412.53 लाख (छौंसठ करोड़ बारह लाख तिरपन हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 7. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

8. पी०एम० ई-बस सेवा योजनान्तर्गत 400 ईलेक्ट्रिक ए०सी० बसों के 12 वर्षों तक परिचालन से होने वाले अंतर राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा Cash Gap Subsidy के रूप में स्वीकृत राशि 203.20 करोड़ (दो सौ तीन करोड़ बीस लाख मात्र) रूपये में 313.96 (तीन सौ तेरह करोड़ छियानवे लाख मात्र) रू० की अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर कुल पुनरीक्षित राशि 517.16 करोड़ (पाँच सौ सत्रह करोड़ सोलह लाख मात्र) रूपये के वर्षवार व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 8. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

9. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (बी०आई०टी०) मेसरा, राँची का पटना में स्थापित विस्तार केन्द्र के लिए विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं बी०आई०टी०, मेसरा, राँची के बीच किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) की अवधि को दिनांक-17.12.2015 से 16.12.2030 तक विस्तारित किये जाने पर स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में। 9. स्वीकृत।

वित्त विभाग

10. सप्तम राज्य वित्त आयोग के अवधि विस्तार के संबंध में। 10. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

11. सीतामढ़ी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नामकरण परिवर्तित करते हुए माता सीता चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सीतामढ़ी करने के संबंध में। 11. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

12. बिहार राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम सं०-1313(त) के तहत नामांकन के आधार पर प्रतिष्ठित संस्थानों के चयन की स्वीकृति के संबंध में। 12. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

13. राज्य के चयनित शहरी केन्द्रों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं उत्पादक बनाने तथा एकीकृत शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए विश्व बैंक से 500 मिलियन डॉलर ऋण की सहायता प्राप्त कर बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम क्रियान्वित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
13. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

14. पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियों अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग के कुल 19305.58 कि०मी० पथांश लंबाई के पथों के संधारण कार्य, केन्द्रीयकृत कन्ट्रोल एवं कमांड सेन्टर एवं AI/ML तकनीक द्वारा पथों के निरीक्षण/अनुरक्षण कार्य हेतु कुल राशि 1596703.42 लाख (पन्द्रह हजार नौ सौ सड़सठ करोड़ तीन लाख बेयालीस हजार) रूपये के अनुमानित व्यय (यथा संलग्न परिशिष्ट-I के अनुरूप) पर प्रशासनिक स्वीकृति की अनुशंसा के संबंध में।
14. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15. अरवल जिलान्तर्गत अंचल-करपी के मौजा-झिकटिया, थाना सं०-227, खाता सं०-61, खेसरा सं०-51 कुल प्रस्तावित रकवा-05 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
15. स्वीकृत।

विधि विभाग

16. बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु दरभंगा न्यायमंडल के अंतर्गत बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय एवं मधुबनी (सदर) न्यायमंडल में एक-एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए अराजपत्रित कोर्टि के कुल 18 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
16. स्वीकृत।

वित्त विभाग

17. बिहार सरकार के सरकारी सेवकों एवं सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वेतन/पेंशन के विरुद्ध अग्रिम वेतन/पेंशन तथा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।
17. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

18. माननीय राज्यपाल एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पदाधिकारियों के उपयोग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 06 अर्द्ध नये मोटर वाहन के क्रय हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
18. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19. शेखपुरा जिलान्तर्गत अंचल-शेखपुरा के मौजा-कटनीकोल, थाना सं०-195, खाता सं०-97, खेसरा सं०-01, रकवा 04.35 एकड़ एवं मौजा-जमुआरा, थाना सं०-196, खाता सं०-40, खेसरा सं०-01, रकवा-0.65 एकड़ सहित कुल प्रस्तावित रकवा-05.00 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय, शेखपुरा के निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
19. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20. शेखपुरा जिलान्तर्गत अंचल-शेखपुरसराय के मौजा-नीमी, थाना सं०-10, खाता सं०-527, खेसरा सं०-4506 की कुल प्रस्तावित रकवा- 04 एकड़ 56.74 डी० गैरमजरूआ मालिक भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय, शेखपुरसराय (शेखपुरा) के निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
20. स्वीकृत।